संख्या-129/2020/1128/2020-03(जि0यो0)/2020

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ: दिनॉक 31 मार्च, 2020**

विषय:**- जिला योजना के अन्तर्गत् पर्यटन विकास के प्रस्तावित कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0- 6691/7-1-1/जि0यो0/2019दिनांक 05 मार्च 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला योजना के अन्तर्गत **पर्यटन विकास के विभिन्न कार्यों हेतु** उपलब्ध कराये गये आगणनों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यूपीसिडको लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये निम्नांकित तालिका के **कॉलम-4 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं कॉलम-5 में अंकित धनराशि की** वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	योजना का नाम	आगणन की धनराशि (रू0 लाख में)	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	बरेली	मनोकामना पूर्ण श्री बालाजी मंदिर में एल0ई0डी0, हाई मास्ट एवं सोलर एल0ई0डी0 लाइट लगाने का कार्य	5.00 जी0एस0टी0 सहित	4.90
2	बरेली	नरियावल देवी मंदिर बरेली में एल0ई0डी0, हाई मास्ट एवं सोलर एल0ई0डी0 लाइट लगाने का कार्य	5.00 जी0एस0टी0 सहित	4.90
3	सम्भल	बहजोई स्थित सादातबाड़ी में प्राचीन शंकर भगवान मंदिर का पर्यटन विकास	4.25 जी0एस0टी0 सहित	4.15
4	रामपुर	तहसील शाहाबाद में रामगंगा घाट स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं यात्री शेड का निर्माण	9.99 जी0एस0टी0 सहित	9.90
5	सिद्धार्थनगर	पर्यटन कार्यालय सिद्धार्थनगर का उच्चीकरण/सौन्दर्यीकरण	9.54 जी0एस0टी0 सहित	9.45
6	बस्ती	गुरू वशिष्ठ आश्रम महादेवा जनपद बस्ती का पर्यटन विकास	9.98 जी0एस0टी0 सहित	9.90
7	संतकबीरनगर	श्री रामजानकी मंदिर का पर्यटन विकास	10.00 जी0एस0टी0 सहित	9.90
8	आगरा	जनपद आगरा वि0स0क्षेत्र खेरागढ में बृथला स्थित मंदिर का पर्यटन विकास	19.74 जी0एस0टी0 सहित	19.50
9	मथुरा	कनवा बाबा स्थल व कुण्ड का पर्यटन विकास	24.93 जी0एस0टी0 सहित	24.40
10	अलीगढ़	सिद्धबाबा मंदिर सालपुर का सौन्दर्यीकरण,	19.78 जी0एस0टी0	19.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		स्ट्रीट लरगअ , हाई मास्ट लागट एवं इण्टरलांिकग का कार्य	सहित	
11	झांसी	सूर्य मंदिर मदरालालपुर, कालपी का पर्यटन विकास कार्य	10.06 जी0एस0टी0 सहित	9.50
12	झांसी	किला घाट कालपी का पर्यटन विकास कार्य	10.16 जी0एस0टी0 सहित	9.50
13	अयोध्या	बौराबाबा मठिया में 05 सीटेड सुलभ सौचालय का निर्माण कार्य	9.92 जी0एस0टी0 सहित	9.50
14	अयोध्या	जनपद अयोध्या में वामदेव धाम का पर्यटन विकास एवं सेड का निर्माण	9.89 जी0एस0टी0 सहित	9.50
15	बलरामपुर	सर्वा माई मंदिर, भिनगा में पांच सीटेड सुलभ शौचालय का निर्माण एवं अन्य कार्य	10.12 जी0एस0टी0 सहित	9.50
16	अमेठी	विकास खण्ड मुसाफिरखाना में हनुमान धाम परिसर का पर्यटन विकास कार्य	9.98 जी0एस0टी0 सहित	9.50
17	अमबेडकरनगर	विकास खण्ड भीटी के जैतपुर में स्थित रामजानकी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	9.48 जी0एस0टी0 सहित	9.25
18	बहराइच	मरिमाता मंदिर में पाचं नग सीटेड शौचालय का निर्माण एवं अन्य कार्य	11.44 जी0एस0टी0 सहित	11.20
योग			199.26	193.95

(1) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा उपर्युक्त कार्य हेतु तैयार किये गये आगणन का परीक्षण पर्यटन विभाग में स्वीकृत कार्यों के आगणनों के परीक्षण हेतु गठित समिति के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत कराते हुए अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा प्रस्तर-2 में स्वीकृत प्रशासकीय स्वीकृति समिति द्वारा संस्तुत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही अनुमन्य होगी एवं आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। परियोजना में कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किये गये आगणन में मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना के प्रस्तावित कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ आदि प्रयुक्त करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा। प्राप्त तकनीकी स्वीकृति एवं कार्य की निविदा से सम्बन्धित अभिलेख शासन को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व पर्यटन निदेशालय/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी आदि द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था से कराये गये कार्यों के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(8) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाय। कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्मित परिसम्पत्ति के समुचित रख-रखाव एवं अनुरक्षण की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जाय।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2019 के प्रस्तर-2(8)(च) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन/वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना के अन्तर्गत कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के अनुपालन का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी की होगी। परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत प्रायोजना कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि पृथक से वास्तविक भुगतान के अनुसार की जायेगी तथा प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। कार्यदायी संस्था से वास्तविक रूप से भुगतान की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि का आवश्यक प्रमाण-पत्र/विवरण पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्राप्त कर महानिदेशक, पर्यटन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसका परीक्षण वित्त नियन्त्रक पर्यटन निदेशालय द्वारा करते हुए संस्तुति सहित सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तभी जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा अधिरोपित लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(15) प्रायोजना की स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक, पर्यटन का होगा। प्रायोजना की अग्रतर धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष 80 प्रतिशत का उपभोग कर लिया जायेगा तथा इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संगत प्रपत्रों में फोटोग्राफ सहित सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी आदि द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/ पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता, महाप्रबन्धक /अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक आदि उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80- सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-09-पर्यटन स्थलों का विकास(जि0यो0)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-129/2020/1128/2020-03(जि0यो0)/2020 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित जिलाधिकारी।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीसिडको, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी ।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।